

इसे वेबसाइट [www.govtpress.mp.gov.in](http://www.govtpress.mp.gov.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 जनवरी 2026--पौष 22, शक 1947

#### वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2026

एफ-30-08-2002-दस-3.-भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 41 एवं 42 के साथ पठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2022 अधिसूचित किया है. अब, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित प्रजातियां, जिनकी उपलब्धता अधिसूचित वन क्षेत्र में नगण्य हैं, यदि वे निजी व्यक्तियों के स्वामित्व की हैं तो उन्हें उक्त नियमों के नियम 3 के खंड (ख) के अधीन परिवहन अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुक्रमांक (1)	वृक्ष का नाम (2)	प्रजाति का नाम (3)
(एक)	नीलगिरी	यूकेलिप्टस
(दो)	कैसूरिना	कैसूरिना इक्विसेटीफोलिया
(तीन)	पोपलर	पापुलस प्रजातियां
(चार)	सुबबूल	ल्यूसिनिया ल्यूकोसिफेला
(पांच)	विलायती बबूल	प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा

F 30-08-2002-X-3.- In exercise of the powers conferred by Section 41 and 42 read with Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government, has notified the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2022. Now, the State Government, hereby, exempts the following species, whose availability in the notified forest areas is negligible, from the requirement of a transit permit, under the clause(b) of Rule 3 of the said rules, if they are owned by private individuals :-

S.No. (1)	Name of Tree (2)	Name of Species (3)
1.	Neelgiri	Eucalyptus
2.	Casuarina	Casuarina equisetifolia
3.	Poplar	Populus Species
4.	Subabul	Leucaena leucocephala
5.	Vilayti babul	Prosopis juliflora

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.